

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

क्रम संख्या

5/1/23

पत्रावली पेश हुई। परसकायक वगैरह उप. है।  
इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 23/1/23  
को पेश हो

~~इसी~~  
उपखण्ड अधिकारी  
उप. काकसू (जयपुर)

23/1/23

पत्रावली पेश हुई। परसकायक वगैरह उप.  
है। इन्तजार तामील पत्रावली दिनांक 6/2/23  
को पेश हो

~~इसी~~  
उपखण्ड अधिकारी  
उप. काकसू (जयपुर)

6/2/23

पत्रावली पेश हुई। वकील वारी उप.। वगैरह  
वारी ने डबन किया। वारी का दावा प्राथमिक  
डिक्ली किया जा चुका है। दावा प्राथमिक डिक्ली  
लिए जाने से प्रार्थी का प्रा. पत्र चलाए रखने का  
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा. पत्र को निस्तार  
करमाया जावे। वकील प्रार्थी के कथन पर गौर  
किया व प्रा. पत्र का कवलोकन किया तो दावा  
वारी प्राथमिक डिक्ली लिए जाने से अप्राथमिक को  
तार्केतलावाद अस्थापी निषेधाज्ञा से तार्केतलावाद  
पाबंद किया जाना उचित समझे है। अतः प्रा. पत्र  
स्वीकार किया जाकर अप्राथमिक को कस्थापी  
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर तार्केतलावाद  
स्वगन कादेश दिनांक 29/8/22 कन्फर्म किया  
जाता है। पत्रावली वाद तामील तामिल फ्लटर हो

~~इसी~~  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड काकसू (जयपुर)